कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.10.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

14 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना को0 देहात पुलिस ने 04, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 02, थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 03, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.10.2023

धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने वाला बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में–

दिनांक 30.09.2023 को सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वाले बालअपचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा घटना की जांच कर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्र0नि0 कटराबाजार को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा घटना की जांच कर दोषी बालअपचारी को आज दिनांक 01.10.2023 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बालअपचारी द्वारा हिन्दू देवता श्री हुनमान जी के विरूद्ध सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0–474/23, धारा 295ए,504 भादवि व 67 आई0टी0ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में किशोर न्याय बोर्ड हेतु रवाना किया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.10.2023

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का सहयोगी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के सहयोगी अभियुक्त–नीरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी के बहला–फुसलाकर भगा ले जाने में सहयोग प्रदान किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नीरज शर्मा पुत्र राम अचल शर्मा नि0 ग्राम बढ़ईपुरवा भीखापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–262/23, धारा 363,366 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गौतम मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.10.2023

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त–संजय ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली 09 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. संजय ओझा पुत्र शिव बहादुर नि0 ग्राम ओझापुरवा चंदापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–430/23, धारा 354,376ए0बी0,376(2)एन0,506 भादवि 9एम/10, 5एम0/6, 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अवनीश शुक्ला मय टीम।

ऑपरेशन क्लीन को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने पुलिस लाइन सभागार में की गोष्ठी, सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश–

आज दिनांक 02.10.2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने शासन की मंशा के अनुरूप चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु पुलिस लाइन सभागार में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में बनायी गयी कमेटी के नामित सदस्यों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम थानों पर लम्बित माल मुकदमाती के बारे मे जानकारी प्राप्त की गयी तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को थानों से सम्बन्धित माल मुकदमाती माल निस्तारण हेतु न्यायालय से जल्द से जल्द अनुमति प्राप्त कर जल्द से जल्द मालों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।